FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..मुकाम......................................
बलराम ... ओमप्रकाश वगै०

....बनाम...

प्रा.पत्र – अ.स्था.नि

रस्म मुकद्दमा..नं...सन्....................... 09/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2019	अभिभाषक प्रार्थी ने वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 6934/1, 6939/1, 6939/5, 6973/2, 6974/1, 6974/5 कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की तहसील टोंक में स्थित है। जो कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात है। प्रार्थी की उक्त वर्णीत भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार व सम्बंध नही है। किन्तु फिर भी अप्रार्थीगण आये दिन ही अकारण प्रार्थी की उक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में मजाहमत करते रहते है एवं खेत की मेड को तोडने पर आमादा है। अतः अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त के खेतो में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे, मजाहमत नही करें एवं जबरन गढ्ढा करने एवं कमरा बनाने की धमकी नही देवे। मैने प्रार्थी अभिभाषक की एक तरफा बहस सुनी। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे प्रतित होता है। अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है वे स्वयं, जरिये एजेंट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उपरोक्त वर्णीत भूमि ख.न. 6934/1, 6939/1, 6939/5, 6973/2, 6974/1, 6974/5 कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की तहसील टोंक में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में मजाहमत नही करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन/हुकुमनामा मय नकल की जाकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 25/2/019 को पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)	
25-2-19	पत्रावली पेश हुई. पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशिका की पालना मे आगामी दिनांक 16/4/19 को पेश हो।	
16/4/019	वकील वादी व पक्षकारान ने उपस्थित [illegible] इस आशय के राजीनामा पेश किया। राजीनामा तसदीक किया गया [illegible] जिसकी ~~[illegible]~~ [illegible] पक्षकारों में कोई अब कोई विवाद नहीं है अतः प्रा.पत्र [illegible] खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा [illegible] [signature] (जगदीश आर्य) RAS उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)	4 [illegible] Bahadur [signature]

Scanned by CamScanner